न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।
पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरडा, आर0ए0एस0
अपील संख्या 58/2018 (2018/00058)/नसीराबाद, जिला अजमेर

1. श्रीमती चतर कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी देवगांव हाल मास्टर कॉलोनी, केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
2. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री गिरधर गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी रेटा पोस्ट दुब्बी तहसील सिकराय, जिला दौसा (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1 यदुराज सिंह पुत्र श्री गिरधर गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी रेटा पोस्ट दुब्बी तहसील सिकराय, जिला दौसा।

3. श्रीमती गोगराज कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री गिरधर गोपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी रेटा पोस्ट दुब्बी तहसील सिकराय, जिला दौसा।
4. रधुवीर सिंह पुत्र जवान सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

4/1 श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी श्री रधुवीर सिंह

4/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रधुवीर सिंह

4/3 देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रधुवीर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी सनोद, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

4/4 श्रीमती अरूणा कंवर पुत्री श्री रधुवीर सिंह पत्नी श्री संग्राम सिंह

4/5 श्रीमती वंदना कंवर पुत्री श्री रधुवीर सिंह पत्नी श्री तेजभान सिंह दोनो जाति राजपूत निवासी बनीपार्क, जयपुर।

––अपीलांट्स

बनाम्

1. प्रहलाद सिंह पुत्र जवान सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1 श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी सनोद, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

1/2 श्रीमती विजयलक्ष्मी पुत्री श्री प्रहलाद सिंह पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, निवासी मिश्र
कॉलोनी फुलेरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

1/3 श्रीमती विजयश्री पुत्री श्री प्रहलाद सिंह पत्नी श्री शैतान सिंह राजावत, निवासी जेलर वाली गली, प्रताप नगर, अजमेर।

2. रधुनाथ सिंह पुत्र श्री जवान सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

2/1 श्रीमती चांद कंवर पत्नी श्री रधुनाथ सिंह

2/2 कल्याण सिंह पुत्र श्री रधुनाथ सिंह

दोनो जाति राजपूत निवासी सनोद, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

2/3 श्रीमती रतन कंवर उर्फ रश्मि कंवर पुत्री श्री रधुनाथ सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, जाति
राजपूत, निवासी कल्याणपुरा तहसील टांटोटी हाल निवासी सनोद, तहसील नसीराबाद
जिला अजमेर।

2/4 श्रीमती दिलराज कंवर पुत्री श्री रधुनाथ सिंह पत्नी श्री विक्रम सिंह, जाति राजपूत, निवासी हणूतिया तहसील निवाई जिला टोंक।

2/5 श्रीमती राजश्री कंवर पुत्री श्री रधुनाथ सिंह पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी
सिरस्या, तहसील फागी जिला जयपुर।

3. श्रीमती समद कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री गुमान सिंह जाति राजपूत निवासी भवाडा तहसील किशनगढ हाल निवास विराट नगर किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी

4. श्रीमती दौलत कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री भंवर सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी देवपुरी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
5. श्रीमती दरियाव कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री किशन सिंह जाति राजपूत, निवासी मण्डियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. विद्वान उप पंजीयक महोदय, नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, नसीराबाद जिला अजमेर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 24.01.2018 अन्तर्गत वाद संख्या 31/2015 बउनवानी श्रीमती चतर कंवर वगेरह बनाम् प्रहलाद सिंह मृतक जरिये वारिसान वगेरह।

उपस्थितः—
1. श्री अजीत सिंह राठौड एडवोकेट अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री शशिकान्त जोशी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 6 व 7 जरियें राज. पैरोकार।

निर्णय

दिनांकः—21.12.2018

1. यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप मे अधिनियम, 1955) के तहत् उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018, जिसके द्वारा अपीलांट्स/वादीगण के राजस्व वादपत्र संख्या 31/2015 को खारिज किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के सक्षिप्त में सारगर्भीत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट्स/वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्स/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वादपत्र संख्या 31/2015 अन्तर्गत धारा 88,53 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पूर्वज जवानसिंह पुत्र किशनसिंह के विधिक वारिसान है एवं जवानसिंह को विवादित आराजी उनके पिता किशनसिंह पुत्र श्योदान सिंह से प्राप्त हुई है तथा विवादित आराजी वाद पत्र की मद संख्या 2 में अंकित सारणी क्रमशः अ, ब, स, द में वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार दर्ज है। विवादित आराजी जमाबन्दी सन फसली 1349 में जवान सिंह के नाम दर्ज है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर तत्समय के राजस्व अभिलेख में उक्त विवादित आराजी में से सारणी "अ" की आराजी अकेले जवानसिंह के नाम दर्ज रही तथा शेष आराजी बगैर किसी विधिक/पंजीकृत दस्तावेज के ही सारणी ब, स एवं द में उनके तीन पुत्रों के नाम अकेले दर्ज कर दी गयी जबकि सम्पूर्ण विवादित आराजी यथाः सारणी अ, ब, स एवं द में जवानसिंह की 6 पुत्रियों का भी उनके 3 पुत्रों के साथ—साथ विवादित आराजी में 1/9 बहिस्सा बराबर अधिकार बनता है इसलिये जवानसिंह के प्रत्येक वारिसान को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त विवादित आराजी को हिस्से अनुसार विभाजित कर स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब् किया । बाद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 मृतक प्रहलाद सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 1/3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन

किया कि विवादित आराजीयात तत्समय नम्बर खाता खेवट 288 एवं कुल रकबा 478 बीघा 3 बिस्वा उभय पक्षकारान के मूल पूर्वज जवानसिंह पुत्र किशनसिंह के नाम राजस्व अभिलेख सन् फसली 1349 की खेवट एवं खतौनी जमाबन्दी में खुदकाश्त मालिक अभिलिखित थी, जिसे उन्होंने अजमेर क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.06.1958 को प्रवर्तन व प्रभाव में आने से पूर्व ही जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.6.1956 से विभाजित कर अपने तीनो नाबालिग पुत्रगण जरिये कुदरती वली वाल्दा/माता भंवरकंवर पत्नि जवानसिंह के नाम विभाजित कर बख्शीश कर दी थी। तदउपरान्त विद्वान तहसीलदार अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 17.07.1957 से पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 के आधार पर विवादित आराजी के नामान्तरकरण क्रमशः संख्या 22/57 बहक रूघनाथ उर्फ रघुनाथसिंह, 23/57 बहक रघुवीरसिंह, 24/57 बहक प्रहलाद सिंह जरिये कुदरती वली वाल्दा भंवरकंवर के नाम स्वीकृत फरमा दिये गये। तत्पश्चात अजमेर क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.06.1958 को प्रवर्तन व प्रभाव में आने पर तत्समय की प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 में उक्त तीनों नामान्तरकरणों के अनुरूप ही विवादित आराजी पृथक–पृथक खातो में प्रहलाद सिंह, रघुनाथ सिंह व रघुवीर सिंह के नाम दर्ज हो गयी एवं वर्तमान में भी उसी अनुरूप गत 60 वर्षो से निरन्तर सारणी अ, ब, स एवं द में अंकित अनुसार ही चली आ रही है इसलिये विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले ही पंजीकृत दस्तावेज से विभाजित हो चुकी है जिसका पुनः विभाजन नही किया जा सकता है। चूंकि विवादित आराजी का अन्तरण अथवा बख्शीश अथवा विभाजन जवानसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने तीनो बेटो के नाम कर दिया था एवं पिता के जीवनकाल में दिनांक 13.06.1956 के समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भी प्रभाव एवं प्रवर्तन में न होने के कारण लडकियों का कोई हक व अधिकार नही होने से जवानसिंह की छहो पुत्रियों का कोई अधिकार विवादित आराजी में नही बनता है इसलिये यह वाद पत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है इसलिए वादीगण का वाद सव्यय खारिज किया जाए।

4. प्रतिवादीगण संख्या 2/5, 3 एवं 5 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जवान सिंह पुत्र किशन सिंह को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है, तथा उक्त आराजी पर जवानसिंह के 3 पुत्रों के साथ–साथ 6 पुत्रीयो का भी हक बनता है अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 व 8 के अनुसार जवाब कुनिन्दा को आराजी मुतनाजा पर सहदायिका की संख्या के अनुपात में खातेदार घोषित कर विधिवत विभाजन किया जावे व प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादीगण ने उक्त प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत कर इसके तथ्यो को स्वीकार किया और प्रतिवादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने जवाब प्रतिदावा पेश कर अपने मूल जवाब दावे के तथ्यों को दौहराते हुए प्रतिदावे को खारिज करने का निवेदन विचारण न्यायालय से किया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध विधिवत तौर पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद अभिवचनो के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्षो की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त उभय अभिभाषको की प्रकरण के गुणावगुण पर अंतिम बहस समाहित कर पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण तनकीवार करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 से वादीगण/अपीलांट्स का वादपत्र एवं प्रतिवादीगण संख्या 2/5, 3 व 5 का प्रतिदावा खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

6. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद सूचना रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 लगायत 1/3 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और शेष रेस्पोडेन्ट्स के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध विधिवत तौर पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दौराने अपील अपीलांट्स ने

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया, जिसका खण्डन करते हुए रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

7. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी एवं मूल अपील के गुवावगुण दोनो पर एक साथ सुनी गई।

8. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी जमाबन्दी सन्फसली 1315 में किशन सिंह पुत्र श्योदान सिंह की खुदकाश्त आराजीयात में दर्ज है जिनके स्वर्गवास के बाद विवादित आराजी जवान सिंह को प्राप्त हुई है इसलिए विरासत से प्राप्त होने के कारण आराजी पुश्तैनी होना सिद्ध है किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय त्रुटिपूर्ण रूप से वादीगण/अपीलांट्स के विरूद्ध किया है। उनका कथन है कि दिनांक 13.06.1956 को जब जवान सिंह ने बख्शीशनामा निष्पादित किया तत्समय अजमेर में अजमेर टिनेन्सी एण्ड लैण्ड रिकॉर्ड एक्ट 1950 प्रभाव में था, जिसमे खुदकाश्त अभिधारी द्वारा भूमि हस्तान्तरण करने पर जिला कलक्टर से ईजाजत प्राप्त करना आवश्यक था लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा सिद्ध नही किया है कि ऐसी कोई ईजाजत बख्शीशनामा करने से पूर्व ली गई हो इसलिए तथाकथित बख्शीशनामा कतई अवैध एवं शून्य दस्तावेज है इसलिए परीक्षण न्यायालय द्वारा बख्शीशनामे को महत्व देते हुए तनकी संख्या 1 एवं 5 का निर्णय त्रुटिपूर्ण किया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजीयात जवान सिंह को उनके पिता से प्राप्त हुई है इसलिए आराजी पुश्तैनी होने से जवान सिंह की 6 पुत्रियों का उनके 3 पुत्रों के साथ बहिस्सा बराबर हक है तथा तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार बख्शीशनामा निष्पादित नही किया जा सकता था एवं तथाकथित बख्शीशनामें से वादी संख्या 4 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार के स्वत्व प्राप्त नही हुए है। उनका कथन है कि सारणी–अ में अंकित आराजीयात जवान सिंह की खातेदारी में दर्ज रही है जिनका स्वर्गवास हिन्दू उतराधिकार अधिनियम दिनांक 15.06.1956 को प्रभाव में आने के पश्चात होने से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार बराबर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है लेकिन जवान सिंह की विरासत वादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के नाम तस्दीक कर दी गई एवं पुत्रीयों का नाम छोड दिया गया परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बाबत् तनकी संख्या 9 मुर्तिब की गई लेकिन तनकी संख्या 9 का निर्णय 7 व 10 के साथ किया गया जिसमे इस बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विवेचन किया जाकर उक्त तनकीयात का निर्णय भी प्रतिवादीगण 2/5, 3 एवं 5 के विरूद्ध पारित कर दिया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा सिद्ध न होने के कारण उक्त तनकीयात का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 2/5, 3 व 5 के विरूद्ध पारित किया जाना अंकित कर दिया गया। परिक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 9 व 10 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध पारित नही किया है और न ही ऐसा निर्णय में अंकन है ऐसी स्थिती में सारणी अ में अंकित आराजीयात में निहीत वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना स्वय् सिद्ध है लेकिन परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण वाद निरस्त कर प्रथम दृष्टया गोचर होने वाली कानूनी त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष तकरीबन 19 दस्तावेजी साक्ष्य एवं तीन व्यक्तियो की मौखिक साक्ष्य पेश की गई है जिससे सम्पूर्ण विवादित आराजीयात पुश्तैनी होना सिद्ध होता है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 व 2 के निष्कर्ष में विवादीत आराजी को पुश्तैनी न मानकर त्रुटि कारित की है तथा तनकी संख्या 8 के निष्कर्ष में दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया है।

उनका कथन है कि अजमेर में अधिनियम 1955 दिनांक 15.06.1958 को लागू होने के रोज जवान सिंह के तीनो नाबालिग पुत्रों द्वारा न तो कोई काश्त की गई और न ही

स्वय् द्वारा कोई लगान जमा कराया गया और न ही उनके द्वारा बख्शीशनामा स्वीकार किया गया एवं न ही माता भंवर कंवर को प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त करने का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है इसलिए नाबालिग पुत्रो कों दिनांक 15.06.1958 के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करने की प्रविष्टिया अवैधानिक है। उनका कथन है कि जवान सिंह ने बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 सीलिंग अधिनियम से बचने हेतु अपने तीनो पुत्रो के हक में निष्पादित किया है जो प्रथम दृष्टया अवैधानिक होकर तत्समय प्रचलित कानून के विपरित है। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 लगायत 6 का निर्णय रिकॉर्ड के विपरित जाकर गलत तौर पर निर्वचन किया है एवं तनकी संख्या 8 एवं 9 को निर्णित ही नही किया है जबकि तनकी कायम किये जाने के उपरान्त उसे निर्णित करना न्यायालय के लिए आज्ञापक है इसलिए परीक्षण न्यायालय का पूरा निर्णय त्रुटिग्रस्त होने से प्रश्नगत अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले सन् फसली 1349 में मकबूजा मालकान दर्ज थी इसलिए अधिनियम 1955 के लागू होने के रोज तीनो पुत्रो की खातेदारी में गलत दर्ज कि गई जबकि उक्त भूमि राजकीय दर्ज की जानी चाहिए थी। उनका कथन है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले प्रचलित भारतीय उत्तराधिकार 1925 के तहत् भी पुत्रीयों का पिता की आराजी में पुत्रों के बराबर हक है। उनका कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के साथ संलग्न दस्तावेज सिविल वाद पत्र संख्या 84/2017 की सम्पूर्ण ऑर्डरशीट व प्रार्थना पत्र क्रमश दिनांक 19.08.2017 व 17.05. 2018 आदि दस्तावेज प्रश्नगत अपील के सारभूत निस्तारण में सहायक सिद्ध होने से एवं विवादित आराजीयात से संबंधित तथा प्रश्नगत अपील को प्रभावित करने वाले होने के कारण इन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स/वादीगण का वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावे। योग्य अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने कथनो के समर्थन में 2006–07 (सप्ली) आर.आर.टी. 153, 2003 आर.आर.टी. (1) 157, 1998 आर.बी.जे. 487, 1995 आर.बी.जे. 113, 1996 आर.आर.डी. 79 व 381, 1998 आर.आर.डी. 47, 1992 आर.आर.डी. 414, 1981 आर.आर.डी. 47, 2016 आर.बी.जे. 410 एवं 2003(3) आर.एल. डब्ल्यू (राज) 1891 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

9. इसके विपरित योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर मौजूद समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन व विश्लेषण तत्समय तथा वर्तमान में प्रचलित काश्तकारी अधिनियम व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा ओल्ड हिन्दू लॉ आदि के सुसंगत कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए विधि अनुकुल तरिके से प्रकरण के वास्तविक विवाद बिन्दू को निर्णित करते हुए किया गया है, जिसमे कोई त्रुटि निहित न होने से यह अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रारम्भीक राजस्व अभिलेख प्रदर्श डी–1 व डी–2 सन् फसली 1349 की खेवट व खतौनी जमाबन्दी से साबित है कि जवानसिंह वल्द किशनसिंह सम्पूर्ण विवादित आराजीयात के मालिक होकर खुदकाश्त करते थे या कभी–कभी सम्पूर्ण रकबे मे से कुछ रकबे की "ताबे मर्जी मालिक मुद्त काश्त" अर्थात निर्धारित समयावधि के लिए अपनी मर्जी से कुछ व्यक्तियो से काश्त करवाते थे तथा लगान स्वयं खजाना राज में जमा करवाते थे, चूंकि मूल पूर्वज जवान सिंह विवादित आराजीयात के अकेले खुदकाश्त मालिक अभिलिखित थे, जिस वजह से सम्पूर्ण आराजी केवल मात्र उनके स्वत्व तथा कब्जे में थी तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 10(2) के परन्तु के तहत अजमेर क्षेत्र में खुदकाश्त अधिकार पूर्णतया हस्तान्तरण योग्य होने से उन्हें उक्त आराजी के हस्तान्तरण के समस्त अधिकार भी प्राप्त थे। चूंकि जवानसिंह द्वारा प्रदर्श डी–3 पंजीकृत दस्तावेज बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से अपने तीनो नाबालिग पुत्रों का संरक्षक उनकी प्राकृतिक वाल्दा को नियुक्त करते हुये सम्पूर्ण

विवादित आराजीयात कुल रकबा 478 बीघा 3 बिस्वा को अपने तीनो पुत्रों के मध्य पृथक–पृथक हिस्से अनुसार विभाजित कर उक्त पंजीकृत दस्तावेज का अंकन तत्समय के राजस्व अभिलेख में नियमानुसार सक्षम न्यायालय भूमिधारक तहसीलदार अजमेर से करवा दिया था एवं विवादित आराजी सन् 1956 के राजस्व अभिलेख से लेकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में उसी अनुसार दर्ज रिकार्ड है जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर क्षेत्र में दिनांक 15.06.1958 को लागू होने से पहले ही मूल पूर्वज जवान सिंह द्वारा पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से विभाजित कर उक्त दस्तावेज की अनुपालना सक्षम न्यायालय से करवाकर राजस्व अभिलेख में भी खाते व लगान पृथक–पृथक करवा दिये गये थे, जिस वजह से दिनांक 13.06.1956 को विवादित आराजी का पुश्तैनी अथवा सहदायिक अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती आराजी का मूल स्वरूप समाप्त हो गया। इसलिये उपरोक्त परिस्थिति के कारण विवादित आराजी का मूल स्वरूप जवान सिंह के पास आने तक तो पुश्तैनी था किन्तु उनके द्वारा दिनांक 13.06.1956 को विवादित आराजी का व्ययन अपने तीनो पुत्रों में जीवनकाल में ही करने के कारण तथा उक्त तीनो पुत्रों को विवादित आराजी जवानसिंह से बतौर पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.6.1956 से प्राप्त होने के कारण उक्त आराजी का मूल स्वरूप वर्तमान में पुश्तैनी नही होने से उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी नही है। उनका कथन है कि जवानसिंह के तीनो पुत्रो द्वारा प्रदर्श डी–3 पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर तस्दीक नामा0 प्रदर्श डी–6 नामान्तरकरण संख्या 22 लगायत 24 दिनांक 17.07.1957 एवं उक्त नामा0 के आधार पर निर्मित राजस्व अभिलेख प्रदर्श डी–7 प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2015 ता 2018 से निरन्तर राजस्व अभिलेख की उक्त प्रविष्टियों को अपने जीवनकाल में स्वीकार किया गया एवं उक्त प्रविष्टियों अथवा पंजीकृत बख्शीशनामें को कभी चुनौती भी नही दी गयी, बल्कि उक्त प्रविष्टियों के आधार पर उनके द्वारा अपने हिस्से की कुछ आराजीयों का समय समय पर आवश्यकता अनुसार विक्रय/रहन आदि भी किया गया। उनका कथन है कि पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से हुये विवादित आराजी के स्वत्व, हक/अधिकार, आदि के खाता विभाजन को जवानसिंह के तीनो पुत्रो द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में तीनो पुत्रों को आराजी प्राप्त होने का स्त्रोत बतौर उत्तराधिकार न होकर पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 है, जिस वजह से विवादित आराजी का वर्तमान स्वरूप पुश्तैनी नही है। उनका कथन है कि तीनो पुत्रो द्वारा जब विवादित आराजी के स्त्रोत अर्थात पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 को अपने जीवनकाल में स्वीकार करते हुये चुनौती नही दी गयी है तो उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 तथा तत्समय से लेकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को चुनौती देने का अधिकार भी नही रखते है। उनका कथन है कि मूल वाद पत्र जवानसिंह की छः लडकियों के आधार पर विवादित आराजी को पुश्तैनी बताते हुये उनका हक व अधिकार होने का कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है जबकि विवादित आराजी का वर्तमान स्वरूप दिनांक 13.6.1956 के उपरान्त पुश्तैनी नही है एवं इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 17.06.1956 के रोज प्रभाव एवं प्रवर्तन में आने से पूर्व ही विवादित आराजी मूल पूर्वज जवानसिंह द्वारा पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 से अपने तीनो पुत्रो में अन्तरित कर दी गयी थी तथा अधिनियम 1956 का प्रभाव भी भूतलक्षी नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले तत्समय प्रचलित ओल्ड हिन्दू लॉ में पुत्रियां का पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार भी नही था, केवल मात्र भरणपोषण का सीमित अधिकार था। उनका कथन है कि दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 के निष्पादन व पंजीकरण के रोज जवानसिंह की छहों लडकियों में से अधिकांश का तो जन्म ही नही हुआ था और जवान सिंह की एक भी पुत्री परीक्षण न्यायालय के समक्ष मौखिक गवाही हेतु पेश नही हुई है। उनका कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 17.06.1956 को लागू हुआ है

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

जिसका प्रभाव भूतलक्षी भी नही है इसलिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 उक्त अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले का निष्पादित व पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण अधिनियम 1956 के प्रावधानों से पूर्णतया अप्रभावित है इसलिये प्रश्नगत प्रकरण में पुत्रियॉ दिनांक 09.09.2005 को संशोधित धारा 6 "सहदायिकता" के आधार पर अथवा धारा 8 "उत्तराधिकार" के आधार पर विवादित आराजी में 1/9 हिस्सा प्राप्त करने की कतई अधिकारिणी नही है। चूंकि जवानसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने स्वत्व एवं मालिकाना हक की आराजी को बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से अपने तीनो पुत्रों में विभाजन कर दिया था इसलिये पिता के द्वारा जीवनकाल में ही किये गये उक्त विभाजन को पुत्रियॉ संशोधित धारा 6(1) परन्तु एवं धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के तहत चुनौती देने का भी कतई अधिकार नही रखती है। उनका कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत भी जवान सिंह के छः लडकियों के अधिकार देखें जाये तो भी उन्हें विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है क्योंकि धारा 8 पिता की निर्वसीयती मृत्यु के उपरान्त पुत्रियों को प्रथम श्रेणी की वारिसान होने पर पिता की सम्पति में हक व अधिकार प्रदान करती है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही सन् 1956 में सम्पूर्ण विवादित आराजी पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से अपने तीनो पुत्रों को अन्तरित कर दी थी, जिस वजह से अन्तरित आराजी जवानसिंह की मृत्यु के रोज उनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नही थी इसलिये जवानसिंह की लडकियॉ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पिता की मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त करने की कतई अधिकारिणी नही है। उनका कथन है कि विवादित आराजीयात के स्वत्व, अधिकार एवं प्रास्थिति का सन् 1956 के दस्तावेज से विभाजन हो चुका है इसलिए उक्त आराजी का पुनः विभाजन नही किया जा सकता है। उनका कथन है कि प्रदर्श डी–3 पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 की प्रमाणित प्रति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74(2) के तहत सार्वजनिक दस्तावेज है जो लगभग 61 वर्ष पुराना एवं उचित अभिरक्षा में होने से उसका निष्पादन एवं अनुप्रमाणन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत सुसाबित है तथा उक्त अधिनियम की धारा 79 के तहत भी उक्त दस्तावेज एक असल दस्तावेज है तथा पंजीकृत दस्तावेज की अन्तर्वस्तु भी धारा 91 व 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकृत है। उनका कथन है कि प्रश्नगत प्रकरण में एक भी ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि विवादित आराजी पर जवान सिह की छः लडकियों का कब्जा काश्त निर्विवादित तौर पर साबित होता हो, चूंकि दावा लाने के दिन जवान सिंह की लडकियों का विवादित कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही है एवं न ही वादीया संख्या 1 चतरकंवर व वादिया संख्या 2 कैलाशकंवर का पुत्र तथा वादिया संख्या 3 गोगराज कंवर या अन्य कोई जवानसिंह की बेटी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपने मौखिक बयान पेश किये है, जबकि इस सम्बन्ध में विधि की सुस्थापित स्थिति है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र बगैर कब्जा के राजस्व न्यायालयों में संधारण योग्य ही नही है। उनका कथन है कि वादी संख्या 4 रघुवीर सिंह ने बख्शीशनामे के आधार पर राजस्व मे आयी प्रविष्टियो को स्वीकार करते हुए लगभग 70 बीधा आराजी का बेचान भिन्न भिन्न समय पर किया गया है जिससे वादी संख्या 4 रधुवीर सिंह के वारिसान रधुवीर की मृत्यु के बाद वाद पेश करने से एस्टोपड है। उनका कथन है कि तनकी संख्या 7 लगायत 10 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 2/5, 3 व 5 पर था लेकिन ये प्रतिवादीगण तनकीयात कायम होने के उपरान्त परीक्षण न्यायालय के समक्ष जान बुझकर अनुपस्थित रहे जिस वजह से परीक्षण न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनका प्रतिदावा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से खारिज कर दिया और उक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे खारिजी आदेश के विरूद्ध कोई अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश नही की है इसलिए तनकी संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगायत 10 में विवेचित प्रतिदावे को प्रश्नगत अपील में अपीलांट्स/वादीगण चुनौति नही दे सकते है तथा प्रतिदावे का निर्णय आज भी स्टेण्ड करता है। उनका कथन है कि अ श्रेणी की आराजीयात के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा न तो जवान सिंह का विरासतन नामान्तरण व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया पेश की गई है और न ही वादीगण ने अपने दावे में पृथकतः विशेष रूप से अ श्रेणी की आराजीयात का अनुतोष चाहा है। अ श्रेणी की आराजीयात का अनुतोष प्रतिवादीगण 2/5, 3 व 5 द्वारा चाहा गया था जिस संबंध में तनकी संख्या 9 कायम की गई थी और जिसे साबित करने का भार उक्त प्रतिवादीगण पर ही था जिनका प्रतिदावा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से खारिज होने के बावजूद इनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौति नही दी गई है इसलिए वादीगण अपने दावे के विरूद्ध पेश अपील के माध्यम से अनचेलेन्जड प्रतिदावे को स्वीकार कराने का अधिकार नही रखते है। उनका कथन है कि अजमेर क्षेत्र में कृषि भूमी के हस्तान्तरण हेतु जिला कलक्टर की पूर्व ईजाजत की आवश्यक्ता नही है और माता अपने नाबालिग पुत्रो की प्राकृतिक संरक्षक होती है तथा माता को इस हेतु पृथकता आदेश प्राप्त करने की भी आवश्यक्ता नही होती है। अपीलांट्स अपने मूल दावे के अभिवचनो से बाहर जाकर मौखिक तौर पर नये उज्र बरवक्त अंतिम बहस उठाने का कतई कानूनी अधिकारी नही है और विवादित आराजी सन् 1956 तक जवान सिंह के खुद काश्त मालिक में दर्ज रही है न की राजकीय दर्ज रही है तथा खुद काश्त मालिक की आराजी राजकीय दर्ज नही की जा सकती है। उनका कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज मूल वादपत्र की कार्यवाही में पेश नही किये गये है और इस संबंध में कोई समूचित कारण भी अपीलांट्स द्वारा आदेश 41 नियम 27 (1) (कक) सी.पी.सी के तहत् अंकित ही नही किये गये है इसलिये अपीलांट्स ने अपना यह प्रार्थना पत्र काफी देरी से अपील के विलम्बित एवं अन्तिम बहस के स्तर पर जान बुझकर प्रश्नगत अपील को देरी करने की कुचेष्टा से पेश किया गया है। इस अपील में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.01.2018 की वैधानिकता एवं औचित्यता का ही परीक्षण किया जाना है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी रिकॉर्ड का अवलोकन नही किया जाना है इसलिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज/रिकार्ड इस अपील के निस्तारण में सहायक न होने से इन्हे अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर रिकार्ड पर लिया जाना उचित नही है। सलंग्न दस्तावेज के बारे में अपीलांट्स द्वारा अपने प्रथम अपील ज्ञापन में भी उज्र नही उठाये गये है अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी तथा मूल अपील खारिज की जावे। योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस 1/1 लगायत 1/3 ने अपने कथनो के समर्थन में 1976 ए.आई. आर. (एच.सी) 01, 1998 (5) आर.बी.जे. 92, 2014 (21) आर.बी.जे. 363, 2014 डी.एन. जे.(एच.सी.) 291, 2016 (23) आर.बी.जे. (एच.सी.) 01, 2012 आर.बी.जे. (एच.सी.) 172, 2016 आर.बी.जे.(एच.सी.) 280, 2016(1) आर.आर.टी. 499, 1985 आर.आर.डी. 694, 1978 आर.आर.डी. 101, 1998 आर.बी.जे. 284, 2009(2) आर.एल.डब्ल्यू (आरजे) 912, 2007 (1) आर.एल.डब्ल्यू.(एच.सी.) 437, 1990 आर.आर.डी. 425, 1997 आर.बी.जे. 149, 1998 आर.बी.जे. 60, 1999 आर.बी.जे. 128, 1999 आर.बी.जे. 158, 2005 आर.बी.जे. 305, 2007(1) (आरजे) आर.एल.डब्ल्यू. (एस.सी.) 472, 2015 आर.बी.जे. 363 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

10. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा परीक्षण न्यायालय से प्राप्त पत्रावली एवं अभिभाषकगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तो का बारीकी से अध्ययन एवं मनन किया गया।

11. सर्वप्रथम अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी का निर्णय किया जाना उचित है चुकि पार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेज सिविल वाद पत्र संख्या 84/2017 की प्रमाणित फर्द अहकाम एवं प्रार्थना पत्र क्रमशः दिनांक 19.08.2017 एवं 17.05.2018 की प्रमाणित प्रतिया है जो राजस्व वाद पत्र के पश्चातवर्ती प्रकरण से सम्बन्धित है तथा ये दस्तावेज परीक्षण न्यायालय के

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

निर्णय व डिक्री की औचित्यता के परीक्षण एवं प्रश्नगत अपील के सारभूत निस्तारण मे सहायक भी नही है जिनके संबंध में कोई अभिवचन अपील ज्ञापन मे भी अंकित नही किये गये है इसलिए ये दस्तावेज अपील के निस्तारण मे सुसंगत नही है तथा सिविल प्रकरण की कार्यवाही इस अपील को प्रभावित भी नही करती है जिस वजह से उक्त प्रार्थना पत्र बलहीन होने से निरस्त किया जाता है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अपना मूल वादपत्र आराजी मूतनाजा को पुश्तैनी बताते हुए परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष दोनो ही पक्षों द्वारा प्रस्तुत व प्रदर्शित सन्फसली 1349 की खेवट एवं खतौनी जमाबन्दी प्रदर्श पी–1, डी–1 व डी–2 से सुस्पष्ट है कि आराजी मूतनाजा जवान सिंह पुत्र किशन सिंह के नाम खुदकाश्त मालिक के रूप मे अभिलिखित है और उक्त रिकॉर्ड से यह भी परिलक्षित है कि जवान सिंह सम्पूर्ण आराजी के मालिक होकर खुदकाश्त करते थे या कभी कभी सम्पूर्ण रकबे मे से कुछ रकबे की ताबे मर्जी मालिक मुद्द काश्त अर्थात निर्धारित समयावधि के लिए अपनी मर्जी से कुछ व्यक्तियो से काश्त करवाते थे तथा हासिल/लगान स्वयं खजाना राज मे जमा करवाते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जवान सिंह आराजी मूतनाजा के अकेले खुदकाश्त मालिक थे एवं सम्पूर्ण आराजी उनके स्वामित्व व कब्जे काश्त मे थी। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 10(2) के परन्तु के तहत् अजमेर क्षेत्र मे खुदकाश्त अधिकार हस्तान्तरण योग्य होने से जवान सिंह को उक्त आराजी के हस्तान्तरण के समस्त अधिकार भी प्राप्त थे, तथा उक्त धारा के अनुसार अजमेर क्षेत्र मे खुदकाश्त अधिकार से विधि पूर्वक किये गये ऐसे किसी अन्तरण को उक्त धारा प्रभावित नही करती है। तत्समय दर्ज रिकॉर्ड खुदकाश्त मालिक जवान सिंह ने जरिये प्रदर्श डी–3 पंजीकृत दस्तावेज बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 से सम्पूर्ण आराजी मूतनाजा को अपने तीनो नाबालिग पुत्रो का सरंक्षक उनकी प्राकृतिक माता को नियुक्त करते हुए अपने तीनो पुत्रो के मध्य पृथक–पृथक हिस्सेनुसार विभाजित कर दी। उक्त पंजीकृत दस्तावेज तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.1957 (प्रदर्श डी–4) से प्रस्तुत होने पर उन्होने तत्समय प्रचलित नियमो के तहत् विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए पंजीकृत बख्शीशनामे के आधार पर तीनो पुत्रो के नाम पृथक–पृथक तीन नामान्तरकरण संख्या 22 लगायत 24 दिनांक 17.07.1957 (प्रदर्श डी–6) तस्दीक कर दिये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अजमेर जिले में दिनांक 15.06.1958 को व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 17.06.1956 को लागू हुआ है तथा उक्त दोनो अधिनियम लागू होने से पूर्व ही जवान सिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे आराजी मूतनाजा जरिये बख्शीशनामे अपने तीनो पुत्रों के नाम कर दी एवं उसके आधार पर राजस्व अभिलेख मे पालना की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मूतनाजा का पुश्तैनी अथवा सहदायिक स्वरूप दिनांक 13.06.1956 को समाप्त हो गया एवं पुत्रो को आराजी मूतनाजा प्राप्त होने का स्त्रोत विरासत/उत्तराधिकार न होकर बख्शीशनामा होने से आराजी मूतनाजा वादीगण/ अपीलांट्स की पुश्तैनी सिद्ध नही होती है, तथा आराजी मूतनाजा का इन्द्राज विधिक तरीके से परिवर्तित हुआ है तथा ओल्ड हिन्दू लॉ में केवल मात्र विधवा पुत्री को ही अपने पिता की आराजी में भरण पोषण का सीमित अधिकार प्राप्त था और उन्हे जन्म से सहदायिक अधिकार प्राप्त नही थे जिस वजह से दिनांक 13.06.1956 को पुत्रीयॉ अपने पिता के जीवनकाल में सहदायिक नही होने से आराजी मूतनाजा में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही रखती थी तथा पुत्रीयों को सहदायिक अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 मे संशोधन कर दिनांक 09.09.2005 को प्रदान किये गये है किन्तु उक्त नवीन व संशोधित धारा 6 भूतलक्षी प्रभाव नही रखती है तथा संशोधित धारा 6 (1) परन्तुक एवं धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के तहत् जवानसिंह की पुत्रीयॉ दिनांक 20.12.2004 से पूर्व के पंजीकृत विभाजन को चुनौती देने का कोई अधिकार नही रखती है जिस वजह से जवानसिंह के तीनो पुत्रो के नाम में अंकित आराजी में जवान सिंह की पुत्रीयो का कोई हक व अधिकार कानूनन घोषित नही किया जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

13. चुंकि अजमेर क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.06.1958 को लागू हुआ है और उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के दिन निर्मित प्रथम जमाबन्दी प्रदर्श डी–7 सम्वत् 2015 ता 2018 में विवादित आराजी पंजीकृत बख्शीशनामें के आधार पर तस्दीक नामान्तरणकरण संख्या 22 ता 24 के अनुरूप जवान सिंह के तीनो पुत्रो के नाम पृथक–पृथक खातो/जमाबन्दी मे दर्ज हो गई इसलिए विवादित आराजी जब पूर्व में ही विभाजित है तो उसे वादीगण/अपीलांट्स के वादपत्र के माध्यम से कानूनन पुनः विभाजित नही किया जा सकता है इस तथ्य की पुष्टि 1976 ए.आई.आर. (एस.सी.) पृष्ट संख्या 01 पर उद्धरित सिद्धान्त से भी होती है जिसके अनुसार नाबालिग के पक्ष में उसके फायदे के लिए किया गया विभाजन बालिग होने पर उसकी सहमती के पश्चात भी रिओपन नही किया जा सकता है। सन् 1956 में निष्पादित व पंजीकृत दस्तावेज के रोज से ही विवादित आराजी जवानसिंह के तीनो पुत्रों के नाम राजस्व अभिलेख में कानूनी तौर पर दर्ज चली आ रही है और पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे की जवान सिंह की पुत्रीयों का कब्जा काश्त विवादित आराजीयात पर साबित होता हो इसलिए कब्जे से बाहर व्यक्ति द्वारा घोषणा का वादपत्र कानूनन संधारण योग्य भी नही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 13.06.1956 के आधार पर तस्दीक नामान्तरणकरण संख्या 23 से वादी संख्या 4 मृतक रधुवीर सिंह को भी लगभग 110 बीघा आराजी प्राप्त हुई है जो प्रदर्श डी–7 जमाबन्दी सम्वत् 2015 ता 2018 से स्पष्ट है और प्रदर्श डी–20 जमाबन्दी सम्वत् 2023 ता 2026 में अंकित नोट से यह भी साबित है कि रधुवीर सिंह द्वारा स्वयं् को प्राप्त उक्त आराजी में से बेचान भी किया गया है। चुंकि वादी संख्या 4 रधुवीर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 13.06.1956 के आधार पर संधारित राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों को सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है इसलिए वादी संख्या 4 मृतक रधुवीर सिंह के वारिसान प्रश्नगत मूल राजस्व वादपत्र प्रस्तुत करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 के तहत् विबंधित है एवं उन्हे वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई वाद कारण भी प्राप्त नही होता है।

14. अपीलांट्स के इस कथन में भी कोई सार प्रतीत नही होता है कि खुदकाश्त अभिधारी को भूमि हस्तान्तरण से पूर्व तत्समय प्रचलित अधिनियम के तहत् जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2015 आर.बी.जे. पृष्ठ संख्या 363 से स्पष्ट है कि ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त किया जा चुका है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित अभिवचनों के अतिरिक्त भी विवादित आराजियात को मकबूजा मालकान होने के कारण सिवायचक दर्ज करने बाबत् तर्क प्रस्तुत किये है किन्तु यह तर्क अभिवचनों से बाहर होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा कानूनन विचारणीय नहीं है ।

15. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली से परिलक्षित है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण 2/5, 3 व 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे के आधार पर तनकी संख्या 7 से 10 कायम की जाकर इन्हे साबित करने का भार उक्त प्रतिवादीगण पर ही रखा गया था किन्तु उक्त प्रतिवादीगण समुचित अवसर के उपरान्त बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त तनकीयात को अपने प्रतिदावे से साबित करने का भी प्रयास नही किया गया, जिस वजह से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त चारो तनकीयात को इनके विरूद्ध निर्णित करते हुए इनका प्रतिदावा भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया है तथा प्रतिदावे के विरूद्ध कोई चाराजोही न होने के कारण प्रतिदावे का निर्णय आज भी प्रभाव में है जिसे अपीलांट्स की अपील के माध्यम से निरस्त नही किया जा सकता है तथा प्रतिदावे का निर्णय चुनौतीग्रस्त नही होने के कारण उक्त तनकीयात नंबर 7 से 10 के संबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष अपीलांट्स/वादीगण हस्तगत अपील के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारी नही है इसलिए तनकी संख्या 9 का निष्कर्ष अ श्रेणी की आराजी के संबंध में उक्त कारणो से हस्तक्षेप योग्य नही है।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

16. प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्षो की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण तनकीवार करते हुए अपीलांट्स/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नही होती है, तथा परीक्षण न्यायालय के तनकीवार निष्कर्ष से इस न्यायालय के सहमत होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

17. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 को यथावत् रखा जाता हैं। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हों । अपील फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

21/12/18

(बी.एल.मेहरडा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

18. निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/12/18

(बी.एल.मेहरडा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Judil/Civil
Part IV- 4

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

श्रीमती चतर कंवर पुत्री श्री जवान सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह जाति राजूपत निवासी देवगांव हाल मास्टर कॉलोनी, केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

प्रहलाद सिंह पुत्र जवान सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1– श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर व अन्य ।

अपील संख्याः–58 सन् 2018 (2018/00058) ब नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद मुबर्खे 24 माह 01 सन् 2018.

दावा बाबत् : धारा 88, 53 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम.

यह अपील ब तारीख 21 माह 12 सन् 2018 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट, श्री शंशिकान्त जोशी एड़वोकेट समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :–अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 को यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.....–.............)रूपये..–.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–.................................. अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 21 माह 12 सन् 2018. को जारी किया गया।

21/12/18

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2. स्टाम्प अर्जी	–
3. इजराय हुक्नामा	–	3. इजराय हक्नामा	–
4. वकील फीस बाबत्	–	4.मेहनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।